

उत्तरांचल शासन  
सूचना विभाग  
यू.ओ. : संख्या 187/XXII/2005  
सचिवालय, देहरादून  
दिनांक 06 अगस्त 2005

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव  
उत्तरांचल शासन।
2. मण्डलायुक्त कुमायूँ/ गढ़वाल मण्डल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन की तैयारी हेतु निर्गत शासनादेश संख्या 177/XXX/2005, दिनांक 30 जुलाई 2005 का कृपया संदर्भ लेने का कष्ट करें जिसके प्रस्तर 10 में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है। तदनुसार उत्तरांचल प्रशासन अकादमी, नैनीताल द्वारा 100 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिये जाने का कार्यक्रम तैयार किया गया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 50 – 50 अधिकारियों को दो बैच में दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दो दिवसीय है। प्रथम बैच का प्रशिक्षण दिनांक 16–17 अगस्त 2005 को तथा द्वितीय बैच का प्रशिक्षण दिनांक 19–20 अगस्त 2005 को उत्तरांचल प्रशासन अकादमी, नैनीताल में आयोजित किया गया है। इस प्रकार दोनों बैच का प्रशिक्षण नैनीताल में ही आयोजित किया गया है।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशियेटिव, नई दिल्ली तथा यशदा, पुणे के विशेषज्ञ भी भाग लेंगे।

इन दोनों प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु अधिकारियों को निम्न प्रकार नामित किया जाना है : –

1. प्रत्येक जिलाधिकारी अपने जनपद में तैनात अधिकारियों में से कुल 4 जिनमें से तीन अधिकारियों को प्रथम बैच दिनांक 16–17 अगस्त 2005 को आयोजित प्रशिक्षण हेतु नामित करेंगे तथा एक अधिकारी को द्वितीय बैच में दिनांक 19–20 अगस्त 2005 को आयोजित प्रशिक्षण हेतु नामित करेंगे।
2. मण्डलायुक्त, कुमायूँ तथा गढ़वाल मण्डल स्तरीय अधिकारियों में से एक एक अधिकारी को प्रथम बैच के लिये आयोजित प्रशिक्षण दिनांक 16–17 अगस्त 2005 हेतु नामित करेंगे।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायती राज, नगर विकास, लोक निर्माण, ऊर्जा, गृह, सिंचाई, पेयजल, वन तथा समाज कल्याण विभाग दो अधिकारियों को प्रथम बैच में दिनांक 16–17 अगस्त 2005 को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु नामित करेंगे।

4. उक्त प्रस्तर तीन में अंकित विभागों को छोड़कर शेष विभागों द्वारा प्रशिक्षण हेतु एक अधिकारी को नामित किया जायेगा। यह अधिकारी द्वितीय बैच में दिनांक 19-20 अगस्त 2005 को प्रशिक्षण प्राप्त करेगा।

जैसा कि उक्त शासनादेश दिनांक 30 जुलाई 2005 में उल्लेख है, इन मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात लोक प्राधिकारियों के लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपील अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। मास्टर ट्रेनर्स के लिये अधिकारियों को नामित करने समय कृपया इसका ध्यान अवश्य रखा जाय।

अनुरोध है कि उक्तानुसार प्रशिक्षण हेतु अधिकारियों को नामित करने का कष्ट करें तथा इन अधिकारियों को यह भी निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे उक्त कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण हेतु उत्तरांचल प्रशासन अकादमी नैनीताल में (प्रथम बैच, दिनांक 16 अगस्त 2005 को प्रातः 10 बजे तक तथा द्वितीय बैच दिनांक 19 अगस्त 2005 को प्रातः 10 बजे तक) पहुंच जायें। अधिकारियों के ठहरने, भोजन आदि की व्यवस्था उत्तरांचल प्रशासन अकादमी, नैनीताल द्वारा नैनीताल क्लब में कराया जाना प्रस्तावित है।

कृपया उक्तानुसार अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु नामित करने हुये आदेश की एक प्रति उत्तरांचल प्रशासन अकादमी, नैनीताल तथा एक प्रति सूचना विभाग में भिजवाने का कष्ट करें।

(डी.के. कोटिया)  
सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. श्री राकेश शर्मा, निदेशक, उत्तरांचल प्रशासन अकादमी, नैनीताल।
3. श्री बी.एम. हर्बोला, संयुक्त निदेशक, उत्तरांचल प्रशासन अकादमी, नैनीताल।

(डी.के. कोटिया)  
सचिव